

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. 29/2018

प्रार्थी-

जुम्मा खां पुत्र जलाल खान जाति
मुसलमान निवासी कुम्हारों की
बस्ती (दरुड़ा) तहसील व जिला
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. ग्राम पंचायत मारुड़ी जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत मारुड़ी
2. खरथाराम पुत्र साकराराम जाति
भील निवासी दरुड़ा तहसील व
जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज
अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 93 दिनांक 12.01.2018 जो
ग्राम पंचायत मारुड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 02 खरथाराम के पक्ष में
निष्पादित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री गणेश कुमार, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30/07/2019

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान
पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा
अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख सं. 93 दिनांक 12.01.2018 को
निरस्त करने का निवेदन किया गया है।




प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा एक
प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत मारुड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि मौहल्ला उदलनगर दरुड़ा में उसे आबादी भूमि में से
भूखण्ड सं. 55 का पट्टा जारी किया जावे। ग्राम पंचायत मारुड़ी द्वारा प्रार्थी
के आवेदन पर पत्रावली कायम की जाकर नियमानुसार शुल्क लेकर रियाती
दर पर उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने का संकल्प सं. 01 दिनांक
15.01.2018 के अनुसरण में नियम 158 राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996
के तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आबादी भूमि में से माप 222.22 वर्गगज का
आलौच्य पट्टा सं. 93 दिनांक 12.01.2018 जारी कर दिया। अप्रार्थी सं. 1

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा जारी इस आवंटन के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया तथा निगरानीधीन रेकॉर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम पंचायत मारुड़ी द्वारा ग्राम दरुड़ा के खसरा नम्बर 302 की आबादी भूमि जिस पर कुम्हारों की बस्ती के निवासियों के कब्जे थे, सरपंच पति एवं ग्रामसेवक पटवारी ने मिलकर अप्रार्थी सं. 2 एवं अन्य के पक्ष में कुल 127 पट्टे एकमुश्त जारी कर दिये। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में से खसरा नम्बर 302 के उक्त भूखण्ड सं. 55 का पट्टा अप्रार्थी सं. 2 को बिना किसी कब्जे के अवैध व अनुचित तरीके से दे दिया है जबकि इस पर अप्रार्थी सं. 2 का कोई कब्जा व आवास नहीं है फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी जांच पुनरीक्षणाधीन पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है।
5. अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया गया है जो कानूनन जिस व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है उस व्यक्ति का मकान/भूखण्ड पर बहुत पुराना कब्जा होना चाहिए परन्तु विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 का कभी भी आधिपत्य नहीं रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 141 से 160 तक की अनदेखी की है तथा ग्राम विकास के लिये कोई योजना तैयार नहीं की गई। ग्राम पंचायत के द्वारा गठित मौका कमेटी द्वारा भूखण्ड के मौका का निरीक्षण नहीं किया तथा गवाह के रूप में सरपंच के ही हस्ताक्षर अंकित हैं। सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस भी विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं किया तथा न ही चस्पानगी की रिपोर्ट अंकित की है, महज खानूपूर्ति की जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत मारुड़ी द्वारा अवैध एवं अनैतिक तरीके से बिना विधिक प्रावधानों की पालना किये, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा सं. 93 दिनांक 12.01.2018 को खारिज करने का आदेश फरमावे।





जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 93 दिनांक 12.01.2018 जारी करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में अंकित नियमों की पूर्ण पालना की गई है। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा अधीन भूमि पर प्रार्थी अथवा अन्य किसी का कोई कब्जा नहीं है बल्कि इस भूमि को प्रार्थी एवं अन्य हड़पना चाहते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा गांव के गरीब व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रियाती दर पर आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड आवंटित किये हैं। ग्राम दरुड़ा में आबादी खसरा नम्बर 302 की खाली पड़ी भूमि पर भूखण्ड काटकर योजनाबद्ध तरीके पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 से निमयानुसार आवेदन एवं निर्धारित शुल्क लेकर भूखण्ड का मौका निरीक्षण कमेटी से करवाया गया एवं ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से संकल्प पारित करने के पश्चात पत्रावली में आदेशिका में उल्लेख करते हुए उक्त पट्टा जारी करने का आदेश दिया गया है। आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक आपत्ति भी ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करवाई गई। प्रार्थी अथवा अन्य किसी की ओर से अन्दर मयाद कोई उजरदारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थी सं. 2 को परेशान करने एवं भूखण्ड को हड़पने की नियत से प्रस्तुत किया गया है जो सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाया जावे।

7. हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 2 के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत मारुड़ी द्वारा पत्रावली संधारित कर निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बाद मौका कमेटी से निरीक्षण करवाया एवं प्रस्तुत रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत की आम बैठक दिनांक 05.01.2018 में पारित संकल्प सं. 01 के अनुसरण में मौहल्ला उदलनगर दरुड़ा में आबादी भूमि में से भूखण्ड सं. 55 का आलौच्य पट्टा सं. 93 दिनांक 12.01.2018 को जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आलौच्य पट्टाधीन भूमि मौके पर खाली पड़ी है तथा अप्रार्थी सं. 2 का कोई कब्जा नहीं है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख का अवलोकन किया गया, जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसरण में जारी किया गया है। उक्त नियम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के द्वारा रियाती दर पर कमजोर वर्गों को रहवास के लिए 300




जिला कलेक्टर
बाड़मेर

वर्गगज भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है, जिसमें कब्जे का बिन्दु सारभूत नहीं है। आलौच्य पट्टा के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 से निर्धारित की रियाती दर वसूल की गई है जिसके रसीद संख्या एवं दिनांक का उल्लेख पत्रावली में संलग्न दस्तावेज में किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पत्रावली में आवंटित भूखण्ड की मौका निरीक्षण रिपोर्ट जो कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई है संलग्न है एवं सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस भी चरस्पानगी रिपोर्ट के साथ है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया आलौच्य पट्टा अवैध, अनियमित अथवा अपूर्ण प्रकृति का होने से सम्बन्धित प्रार्थी के आक्षेप बलहीन है तथा यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाकर ग्राम पंचायत मारुड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा सं. 93 दिनांक 12.01.2018 यथावत बहाल रखा जाता है।



निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाडमेर
जिला कलक्टर
बाडमेर